[Shri P. Shiv Shanker]

consideration the ethoes and values of this nation. If it is not possible, let us go by the verdict of the court of law wiach has to be respected in every form. If there is any controversy about the fact, I would even make a suggestion. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. I have to adjourn the House for lunch. (*Interruptions*).

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जैसे शाह बानो केस में आपने कोर्ट का आदर किया वैसे ही करें ।

SHRI P. SHIV SHANKER: Lastly, I will submit that for the purpose of proper appraisal of the situation, I would appeal to the House, if the House can agree and if the Leader of the House can give his assent to, that a House Committee could be formed for the purpose of going there and finding out as to what exactly has happened (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I have to adjourn the House for lunch for one hour. I hope the UP Government will inform the Home Minister so that we can get the information. The House is adjourned for lunch till 2.45 p.m.

The House then adjourned for lunch at forty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-eight minutes past two of the clock.

[THE VICE-CHAIRMAN SHRI M. A. BABY) in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): There is a supplementary list of business for today. Paper to be laid on the Table. Shri Shantaram Potdukhe.

Summary of the Recommendations of the Committee on Small Savings and the decisions of the Government thereon

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Summary of the Recommendations of the Committee on Small Savings and the decisions of the Government thereon.

[Pleased in Library. *See* No. LT-1583/92]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, we will continue with the Special Mentions. Shri Ram Awadhesh Singh.

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): The Chair has assured that is continuing....

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): The Chair hasa assured that one Member from each party will be allowed to speak.

SHRI V. GOPALSAMY: ....and one Member from each party is allowed to speak. The SJP and the DMK have not spoken and the AIADMK is also there.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN (Andhra Pradesh): We are also here, Sir.

SHRI V. GOPALSAMY: Telugu Desam, everybody is there.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Why don't you take Special Mentions tomorrow?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Let us see whether it will be over. Chaturananji

---

Special Mentions—Contd.

Alleged demolition of Temples in Ayodhya in violation of the rulings of the High Court—Contd.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अयोध्या कांड के बारे में कुछ बातें आज सदन में आई हैं और जो अखबारों में भी आयी हैं, वह काफी चिंता का विषय हैं । यह एक जगह की घटना नहीं है बल्कि इसका संबंध पूरे

राष्ट्र से है । महोदय, मैं एक बात की जरूर यहां पर चर्चा करूंगा कि पिछली बार जब नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने, सभी पार्टियों के लोगों ने, जिसमें हमारे बी०जे०पी० के भाई भी थे, हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया था और वहां के चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि उस जमीन पर किसी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं होगी और कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं होगा । उसके बाद हमने अनेक मुस्लिम संगठनों से अपील की कि क्योंकि सभी सेकुलर पार्टियों ने बाबरी मस्जिद का मामला अपने हाथ में ले लिया है, इसलिये मुसलमानों के नाम पर कुछ नहीं होना चाहिये जिससे सेकुलर पार्टीज के लोग जो आपकी धार्मिक आजादी की लड़ाई के लिये खड़े हैं वे कमजोर न हों । अगर इसको अलग से आप साम्प्रदायिक रूप देंगे तो यह गलत काम होगा । यह अच्छी बात है और जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, आमतौर पर मुस्लिम संगठनों ने इससे परहेज किया और इसलिये मैं समझता हूं कि यह हम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी सेकुलर पार्टियों के लोगों की और हमारे बी०जे०पी० के मित्रों की भी कि इस मामले पर सही ढंग से विचार कर हम इसका ऐसा निराकरण निकालें, जब सबके हक में हो । वहां पर रामचन्द्र जी का मंदिर बने, तो इसके लिये हम पहले ही कह चुके हैं और हम इस बात पर सहमत हैं । जो विरोध का विषय है वह यह है कि मस्जिद तोड़ी न जाय । इतनी ही बात है कि न उसे तोड़ा जाय और न हटाया जाय और दोनों अपनी जगह पर रहें । आज के डिसक्शन में जो बातें आई हैं, फैक्ट्स के बारे में दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही गई हैं । बी० जे० पी० के नेता जो बोले, और उन्होंने जो फैक्ट्स रखे हैं, उनसे हम लोगों के फैक्ट्स भिन्न हैं । इसलिये हम चाहेंगे कि सरकार को चाहिये कि वह किसी निष्पक्ष पार्टी से फैक्ट्स के बारे में असर्टेन करें क्योंकि बात यह है कि अगर हम लोगों ने केंद्र सरकार के खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर काम किया तो उचित नहीं होगा और शायद राज्य समझेगा कि उसके मामले में हस्तक्षेप हो रहा है । आप जानते हैं कि वहां पर बी० जे० पी० की सरकार है । लेकिन हमने या हमारी पार्टी ने सदन में कभी यह नहीं कहा कि क्योंकि वहां पर बी०जे०पी० की सरकार है, इसलिये सिर्फ इस बिना पर उसको भंग कर दीजिए । यह मामला हम लोगों ने कभी नहीं उठाया । लेकिन कभी भी हम जिस बात की चर्चा करना चाहेंगे वह यह है कि वहां जब एक नयी स्थिति पैदा हो गयी है । अगर केंद्रीय सरकार कोई रिपोर्ट मांगे और गवर्नमेंट रिपोर्ट न दे, इसकी इस सदन में भाई सिकन्दर बख्त जी सहित किसी ने भी सराहना नहीं की, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया । उन्होंने भी कहा कि वह स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा उन्होंने सदन में कहा । अगर स्टेट गवर्नमेंट नान-कोआपरेटिव है . . . (व्यवधान) आपने तो कहा ही ।

श्री सिकन्दर बख्त : होम मिनिस्टर साहब ने मुझ से कहा था और

†[اوی سکندر بخت : ہوم منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا اور]

I am in touch with the UP Government. I am trying to reach people. I shall bring facts before the House.

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा कि यह बहुत बुरी बात है । अगर डिफाइंस की हालत में सरकार पहुंचे तब तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या होगा ।

दूसरी बात राम पार्क के बारे में आपने चर्चा की कि कांग्रेस वालों ने कहा था, स्व० राजीव गांधी जी ने कहा था । लेकिन उन्होंने यह तो नहीं कहा था कि इसको हंगामा करने वालों को दे दीजिए । यह राजीव गांधी ने अभी नहीं कहा कि बजरंग दल और अन्य लोगों को आप दे दो, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा था । अगर पार्क बनाना है तो आप बना सकते थे, मस्जिद को बिना किसी तरह का खतरा पहुंचाये । अगर पार्क में मंदिर रहता तो कौन सा उससे आसमान टूट

†[] Transliteration in Arabic Script.

[श्री चतुरानन मिश्र]

जाता ? काहे को आप ऐसा करते हैं । अगर आप मंदिर तोड़ सकते हैं तो आप मस्जिद भी तोड़ सकते हैं, चर्च भी तोड़ सकते हैं । अगर मंदिर तोड़ना आपने शुरू कर दिया तब तो दूसरों को तोड़ने में आपको कोई धार्मिक आपत्ति नहीं होगी । इससे भी यह केस मजबूत होता है कि आप किस तरह से गड़बड़ी वहां पर कर रहे हैं । वहां के महन्त बाबा लालादास को जिस तरह से हटाया गया है उसके बारे में शिकायत हैं और हम लोग भी समझते हैं कि क्यों इस ढंग से किया जा रहा है ? पता नहीं क्या होगा । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार अविलंब, हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अविलंब सभी पार्टियों की बैठक बुलायें और कहें कि अगर स्टेट ने फायर एटोट्यूड ले और मामला हो धार्मिक आज़ादी का या फंडामेंटल राइट्स का तो ऐसी हालत में हम को क्या करना चाहिये क्योंकि आप आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करें, इससे कहीं अच्छा है कि सभी बैठ कर के इन को कहें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसके कारण हम लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं न कि सिर्फ इसलिए कि बी०जे०पी० की सरकार है । आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और तब हमारे सामने कोई चारा नहीं रहेगा । इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो आश्वासन भाजपा नेताओं और यूपी० के मुख्य मंत्री ने नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल में दिया था उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए अविलम्ब आप बैठक बुलाइये और इसको कीजिये ।

मैं दूसरी बात जो कहना चाहूंगा वह यह है कि ऐसी स्थिति में कम से कम हम बी०जे०पी० के भाइयों से रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इनका वोट इसी पर निर्भर है और वोट के बिना तो चलता नहीं है (व्यवधान) सुनिये । दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसे ढंग से चलाते कि सारा भारत आकर्षित होता । उत्तर प्रदेश में अगर दंगा फसाद कराने वाली सरकार है तो वह दिल्ली में कभी नहीं पहुंच सकती है । इतना हम जानते हैं । इसलिए हम आपको कहते हैं कि कहीं यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला न बन जाए । यदि किसी की धार्मिक भावना पर चोट की जाती है तो दुनियां में और लोग भी हैं । इसलिए हम आपसे कहेंगे, सदन से भी कहेंगे कि भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आए, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिये क्योंकि जब किसी की धार्मिक भावना पर चोट होगी, आज कल ह्यूमेन राइट्स के प्रश्न को ले कर लोग यूनाइटेड नेशंस में जा सकते हैं । और बातें भी आएगी इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करें कि देश के अन्दर दंगा फसाद शुरू हो जाए । इसलिए रह रह कर, जब दूसरा कुछ नहीं मिलता है, शायद एकता-वेकता यात्रा वाला सौदा बिका नहीं, फिर यह मामला शुरू हो जाता है इस सब से आपका कोई फायदा नहीं होगा । आप कंस्ट्रक्टिव ढंग से कुछ काम करें और देश को आगे ले चलें । यही हमारा इस सदन से अनुरोध होगा । एक बार फिर मैं दोहराता हूं चूंकि यह मामला बहुत गम्भीर है इसलिए प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग बुलायें और उसके निर्णय के मुताबिक फौरन आवश्यक कार्यवाही करें । गृह मंत्री जी यह न कहें कि हम तो असहाय जीव-जंतु हैं, हम हेल्पलेस क्रियेचर हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं । संविधान में दोनों बातें हैं । इसलिए आप समुचित तरीके से मूव कीजिये । यही मेरी अपील है । (व्यवधान)

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, this morning the hon. Leader of the Opposition said that this was a burning issue. What is being set fire to is the holy concept of secularism which is the bed-rock of our polity and our Indian culture. Sir, what is going on in Ayodhya that has given rise to a plot of apprehensions and fears? It is a straight step towards construction of a temple in the name of tourism development. It is a pity that they should have acquired the land not to build a temple but to develop tourism. So they have reduced the status of Lord Rama to an object of tourism.

I am very sorry to say that. But at the same time we know that in November last the National Integration Council had taken a very wise decision. With the consent of the hon. Chief Minister of Uttar Pradesh and with his assurance it had been decided that the entire issue would be settled through negotiations and the rule of law. The hon. Chief Minister of UP had given an undertaking that the final court order would not be violated. So, I would like to ask the hon. Home Minister as to what is their position now. Have they gone back? Has the Chief Minister gone back on his promise to the National Integration Council? This is my first question to the hon. Home Minister. Sir, they are raising walls and the demolition work is also going on under the supervision of some State Ministers. What is the wall for? Is it probably to protect something?

श्री जगेश देसाई : वे सफाई का काम कर रहे हैं, टूरिज्म का काम नहीं कर रहे हैं।

SHRI MURASOLI MARAN: Whether they are for cleansing or for demolishing, the fact is that they are going to construct something. But where is the site plan: There should be a site plan for constructing anything. Has it been approved by any competent authority? I would like the hon. Home Minister to reply to these questions. The only thing which can be done with the consent of all is that the site plan should be submitted to the Allahabad High Court. That will only solve the problem. The hon. Chief Minister has given an assurance that he will not violate the Court order and the National Integration Council has come out with a statement that the problem will be resolved by negotiations. Therefore, I want to know from the Home Minister whether he would use his office to persuade the Uttar Pradesh Government to give a site plan, to publish a site plan first and then to submit it to the Allahabad High Court. Mr. Sikander Bakht has categorically stated, "Come what may, we will build the Ram temple." We are all strange personalities. I have got great admiration for Mr. Sikander Bakht. He is strange, not that I am referring to his religion or his status as the leader of the BJP. He has stated in a newspaper interview that he is an agnostic. I am also an agnostic like him. So we are not bothered about which temple they are going to build and where they build it. As an agnostic, we should also not bother about it. He has categorically asserted that his party will build the Ram temple. I want to know as to where they are going to build the temple. Are they going to build it after destroying the mosque? In that case, we should probe into this. This means that they are demolishing the very Constitution itself, the very values of secularism itself. Many friends have suggested that we should use Article 356. I am not for using Article 356. If the Uttar Pradesh Government is hesitating, the Home Minister should give a directive, if necessary, to get all the particulars and see that the site plan is sumitted to the Allahabad High Court.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Sir, everybody in this House is very much worried about the aftermath of all these things that are happening in Ayodhya. Ram Janmabhoomi issue is not the first of its kind that has started now. It has been gooing on for so many years. We still remember what happened in 1990 when there was riot all over the country including the South where many places were affected. Now, they have started to say that they are going to have a sort of tourism complex and, consequently, they are going to demolish the temples, the one thing which I don't understand is whether they are going to demolish the Babri Masjid and construct the Ram temple or not on what basis they are breaking the Hindu idols and the Hindu temples. I am unable to understand this and it has been reported in the Press that they have destroyed some Hindu temples and also they have demolished

[Shri G. Swaminathan]

one Bhajan Math, as it is called. Today morning, the hon. leader of the BJP said that he is not violating the Court order. From the newspapers, I find that one Sankat Mochan Shrine was also demolished. They have filed a petition in the High Court and have also got a stay order from the High Court. When a stay order has been obtained from the High Court, how can they demolish the Sankat Mochan shrine? The Education Minister, when he was confronted, said that they have come to an understanding with Mr. Sachin Bhobbar. I am not able to understand that when there is a stay for a particular temple, in this case, the Hanman temple, can the Education Minister have a private understanding with the owner or the mahant of the temple and demolish it against the Court stay order? I am not ale to understand their logic in doing this. I also wish to stress that India is going through a crisis in many fields. We are going through a crisis in the economic field. We are having a lot of problems on the borders in Kashmir and other places. Therefore, this is not the time to start this kind of a controversial thing on the basis of religion. This will upset the equilibrium of our country. I plead with the leaders of the BJP not to start this game again, a game which created a lot of problems throughout the country.

I would like to say one more thing regarding Tamil Nadu. As regards VHP we have our own reservations in Tamil Nadu. Recently the VHP has been issuing many statements in Tamil Nadu which are creating a lot of problems in Tamil Nadu. Wherever they go, they create confusion and disorder. Normally they take a route — I do not want to mention — where there is a conflict so that the conflict is escalated and out of the generation and escalation of a conflict they want to get a political advantage. This is what we find in Tamil Nadu. I, therefore, plead with them to have a consensus in this matter and not to escalate the conflict further which would jeopardize the very equilibrium of our country which is based on tolerance of all religions, especially in the south.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारा जो संविधान है और जो राष्ट्र है, वह चरित्र में धर्म-निरपेक्ष है । धर्म-निरपेक्षता का मतलब जो मैं समझ पाता हूं वह है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करने की छूट होगी । कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म का अनादर नहीं करेगा और इस देश में आस्तिक भी रह सकते हैं और नास्तिक भी रह सकते हैं । इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दो बार शपथ ली । एक बार तो उन्होंने राज भवन में अपने मंत्री परिषद् और सहयोगियों के साथ शपथ ली और ठीक उसके दूसरे दिन मुख्य मंत्री और मंत्री परिषद् के जितने भी सदस्य थे, जिन्होंने राज भवन में शपथ ली थी, अयोध्या के मंदिर गये और वहां पर दूसरी शपथ ली कि राम लला का मंदिर बन कर रहेगा, जबकि इस बात की जानकारी मुख्य मंत्री को थी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो लखनऊ बेंच है, उसने एक स्थगन आदेश दे रखा है और यह कह रखा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी ।

तो मेरी राय में मुख्य मंत्री का आचरण उस दिन ही संविधान विरोधी हो चुका था लेकिन इसकी ओर केंद्रीय सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और शायद उसी प्रकार से उस दिन केंद्रीय सरकार असहाय थी जैसा कि आज गृह मंत्री असहाय हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार से जो सूचना मांगी गई है अभी तक सूचना नहीं मिली है । पता नहीं कि भोजनावकाश में इनको सूचना मिली कि नहीं मिली ।

दूसरा, यह जो राम जन्मभूमि न्यास को सरकारी जमीन दी गई है, यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, क्योंकि रामजन्मभूमि न्यास एक प्राइवेट ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के संसद्

सदस्य महंत अवैद्य नाथ, भारतीय जनता पार्टी की लोक सभा की सदस्या, विजयाराजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य श्रीशचन्द्र दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी के ही सूर्य कृष्ण जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित नेता हैं। इसके अतिरिक्त और लोग भी इसके सदस्य हैं ।

तो मेरा यह कहना है कि यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिगृहीत की थी। उसके पास यह भूमि थी और वही उसकी मालिक थी। लेकिन जैसी खबरें समाचार-पत्रों में आई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रामकथा पार्क के निर्माण के लिए 42.137 एकड़ जमीन को रामजन्म भूमि न्यास को सौंप दिया है। पट्टा कल देर रात को यहां रजिस्ट्री दफ्तर में रजिस्ट्री हो गया है । पट्टा दाता आलोक सिन्हा, सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश तथा पट्टा ग्रहण करने वाला रामजन्म भूमि न्यास है। पट्टे को एक रुपया वार्षिक दर पर शाश्वत दिनों के लिए दिया गया है, जिसका कभी नवीकरण नहीं कराना होगा।

तो एक ऐसा ट्रस्ट जो प्राइवेट ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट के कम से कम चार-चार भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है मेरा यह आरोप है सीधे-सीधे कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री और उसके मंत्री परिषद् द्वारा उनके पद का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ की पूर्ति के लिए है। तो मेरी मांग यह है और इस देश में हुआ भी है कि बहुत से मुख्य मंत्रियों ने पद का दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ कमीशंस आफ इंक्वायरी, 1952 के तहत जांच आयोग बिठाया गया और यह जांच आयोग बिठाने का काम केंद्रीय सरकार कर सकती है ।

मेरी यह मांग है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार की जमीन को एक ऐसे ट्रस्ट को दिया है जिसके सदस्य भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और यह बहुत बड़ा पद का दुरुपयोग है और इसके संबंध में काम किया जाना चाहिए। दूसरा मेरा यह कहना है और सिकन्दर बख्त जी ने आखिर में कहा बहुत जोर से कि मंदिर तो वहां बन करके रहेगा । मंदिर बने इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने के काम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए । क्योंकि मुझे याद है सोमनाथ मंदिर के संबंध में जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए, जब उसके पुनर्निर्माण के लिए सरदार पटेल ने घोषणा की जामनगर में और उन्होंने यह भी घोषित किया कि उस मंदिर को बनाने में केन्द्र सरकार की ओर से सहायता दी जायेगी । उसके बाद जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सरदार से मिलने के लिए गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत बड़े राम भक्त थे, जब उनकी हत्या हुई आखिरी शब्द जीवित गांधी के मुंह से निकला "हे राम", लेकिन गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनाने के काम में सरकार की ओर से एक भी पैसे की सहायता नहीं दी जानी चाहिए । सरदार पटेल ने इस बात को माना और गांधी जी की घोषणा के अनुसार जनता से पैसा इकट्ठा किया गया । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार यह जो काम कर रही है इससे देश की जो राष्ट्रीय एकता है और धर्म के लोगों की एकता भी खतरे में पड़ गई है । जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक आदेश है और स्थगन आदेश है तो बार-बार यह कहना कि मंदिर बन करके रहेगा, मंदिर बन करके रहेगा, इसके मायने जो न्याय का मंदिर है उसकी भी आप अवहेलना कर रहे हैं । मुलायम सिंह यादव जब वहां पर मुख्य मंत्री थे उनका भी बराबर यह कहना था कि राम मंदिर बनना चाहिए लेकिन राम का मंदिर किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की जो पाक इमारत मस्जिद है उसको क्षति पहुंचा करके मंदिर बनाने की इजाजत इस देश में, इस देश की जनता नहीं दे सकती है और न इस बात का मैंडेट ही भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है । इसलिए मैं इस बात का निवेदन करूंगा जिस ओर

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मैंने ध्यान आकर्षित किया है उसकी ओर गृह मंत्री जी बतायेंगे और दूसरे 1986 में जिस समय ताला खुला था शुरूआत होनी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री ने भी राम कथा पार्क के लिए एवं मंदिर के लिए जमीन का वहां पर अधिग्रहण किया था। मेरी राय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ने ही राम जन्म भूमि बाबरी-मस्जिद की जो शुरूआत की, उसका जो बीज बोया, उसके चलते आज देश की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बहुत ज्यादा खतरा है और गृह मंत्री जी से तथा केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से जो कुछ भी सूचना उनको मिले, यदि आज मिले तो अभी बताए, लेकिन हो सकता हैं कि लंच में मिल गई हो, और अगर नहीं मिलती है तो कम से कम कल जरूर बताने की कृपा करेंगे और जरूर इस बात की जानकारी करेंगे कि राम जन्म-भूमि न्यास के सदस्य कौन-कौन से लोग हैं और उस में कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य हैं या विधायक हैं?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, in stating the BJP position, the Leader of the BJP Group here, Mr. Skander Bakht, concluded his speech by saying that they have a mandate to build the temple there.

Sir, in the last election, the BJP got 32 per cent of the votes and all the secular parties put together got more than double that. If the mandate is to be measured by majority or minority, then it is clearly a minority Government in terms of votes which is there now in Uttar Pradesh. Furthermore, in the by-elections that took place to 17 Assembly and three Parliamentary seats in Uttar Pradesh, the BJP vote actually came down to 26 per cent. So, in fact, as time passes, the small mandate that they got, to begin with, is actually going down and whatever mandate they got in the 1991 elections was because of a false propaganda of many people having been killed in police firing when the people went there to forcibly demolish the Masjid. In fact, all the names and addresses of those killed were there. They even performed their last rites and took their ashes and distributed them around the country. But, within three days, the corpses came alive and they even declared that they were nowhere near Ayodhya at that time! It was, in fact, a calculated attempt to defame Mr. Mulayam Singh Yadav and to seek political advantage. That is why they got even this 32 per cent and, if there is any election today, the BJP will not get even half of those votes that they got last time.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: What about the seats?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Regarding seats, you can calculate them accordingly. Therefore, they have no right to talk of mandate. Mandate is not the argument. They are in power. Now the question is whether they will do it and get away with it That is the real question.

Sir, the Ram issue for them has been very profitable—in the short run in terms of votes and in the long run in terms of money. Those who are committed to religion and the advancement of religion have dissociated themselves. All the Shankaracharyas today are not with them. The Shankaracharyas have separately given statements, saying that nothing should be done forcibly there. Sardar Patel, whose name they quote, wrote a letter to Shri Govind Ballabh Pant at that time, saying that under no circumstances there should be any unilateral step or by force; it should be with the willing cooperation of all the communities. So, consequqently, Sir, the real issue is whether they can do it. I know it for a fact that their plan is that since March 11 they have been building the wall. We have woken up only now The Home Ministry has still not woke up to it. They are waiting for information from the Uttar Pradesh Government. (*Time Bell rings*)

Under the Constitution, the Central Government is the senior partner. They are behavings as if the Uttar Pradesh Government is the senior partners and the Central Government is the junior partner. And they are not able to inform the Parliament about the actual situation.

So the central question, therefore, is what the intention of the Government there is. They are going to build the wall and then they are not going to demolish the Masjid. They consider the Masjid already a temple and they are going to renovate that Masjid in the form of a temple. And that is their ultimate aim and they have timed it for the summer. In this country there is a parallel situation, and ths s allowed by the Central Government.

Therefore, Sir, there is just now no alternative, considering all the previous commitments given by them. In 1989, they -- the Vishwa Hindu Parishad -- gave a written commitment that they will allow the *status quos* and they will wait for the court decision. They gave a similar undertaking in the National Integration Council.

It is now the responsibility of the Central Government. And I demand that the Uttar Pradesh Government be dismissed forthwith.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shri Mohd. Khallelur Rahman.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चैयरमैन साहब, यह बड़े अफसोस की बात है कि पिछले तीन-चार महीने पहले नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में यू०पी० के चीफ मिनिस्टर और बी०जे०पी० के अहम कायदीन की यकीन दिहानी के बावजूद कि यह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला या तो बातचीत के जरिए इत्तफाक-ए-राय से तय किया जाएगा या फिर अदालत का जो भी फैसला होगा, उसको तस्लीम किया जाएगा, मगर अभी हालिया इस्तयात अंगेज डवलपमेंट जो वहां पर हुए हैं, उन डवलपमेंट्स को सतही अंदाज से नहीं सोचा जाना चाहिए क्योंकि यह डवलपमेंट्स प्रि-प्लांट है और जानबूझकर इस किस्म की इस्तयात अंगेज हरकत की गयी है और इस बात की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर एकता यात्रा के मुकम्मिल फेल होने के बावजूद बी०जे० पी० की जानिब से यह कोशिश की जा रही है कि फिर किसी तरह इस मसले को जिंदा रखा जाय । चुनांचे इस तरह नए डवलपमेंट्स फिर किए जा रहे हैं ।

[श्री मोहम्मद खलिलुर रहमान]

इसलिए मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से खास तौर से कहूंगा कि वह जल्द-से-जल्द बयान दें । होम मिनिस्टर साहब का यह कहना कि मैंने टेलीफोन किया है, मैं फैक्ट्स का इंतजार कर रहा हूं, मुझे अभी तक वहां से मालूमात हासिल नहीं हुए हैं, यह लाचारी के सिवाय और कोई बात नहीं है । आपके और भी मुख्तलिफ सोर्सेज हैं मालूम करने के । जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर से जो भी इनफर्मेशन आएगी तो चीफ मिनिस्टर को इनफर्मेशन खुद उनकी इनफर्मेशन रहेगी और उनका जो एक्शन है, उसे वे जस्टीफाइड करेंगे । इसलिए आप की भी वहां पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के जरिए आप मालूमात को हासिल कीजिए । वहां 11 मार्च, से इस तरह की हरकतें हो रही हैं और आज 23 मार्च है । इस तरह 12 दिन हो चुके हैं । इसके बावजूद आपका यहां पर यह कहना कि हम को अभी तक इनफर्मेशन नहीं मिली है, यह समझ में आनेवाली बात नहीं है । लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्द-से-जल्द इस हाउस में मुकम्मल इनफर्मेशन के साथ तशरीफ लाइए बल्कि मैं तो आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आज का यह इजलास खत्म होने से पहले आप इस हाउस में बयान देंगे और तमाम मेंबर्स को इससे मालूम करेंगे ।

और फिर खासतौर पर हमारे मोहतरम साहब, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं जनाब सिकन्दर वख्त साहब, इनका अपनी तकरीर के आखिरी में यह कहना कि मंदिर जो है बन कर रहेगा, यह तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है । यहां का मुसलमान इम्तिहाई मुतमईन है इस वजह से कि हिंदुस्तान की जितनी सेकुलर फोर्सेज हैं वह पूरी की पूरी मुसलमानों के साथ हैं और वह यह देखना चाहती है कि जिस तरह से हिन्दुस्तान की शिनाख्त पूरी दुनिया की ममलिकत की हैसियत से हुई है, उस शिनाख्त को बरकरार रखना चाहती है । मगर, आपका यह कहना कि मंदिर बनकर रहेगा, क्या मस्जिद को शहीद करके आप मंदिर बनाना चाहते हैं या मस्जिद को मंतकिल करके मंदिर बनाना चाहते हैं ? यह बात जो है, कोई समझ में आने वाली बात नहीं है । इसलिए एहतराज की जरूरत है बल्कि आप भी इस बात की कोशिश कीजिए, जैसा आप एक दफा यकीन दे चुके हैं, बातचीत के जरिए, इत्तफाके-राए के जरिए इस मसले को तय करेंगे और अदालत का जो भी हुकुम होगा उसकी हम पाबंदी करेंगे, आप इस पर जो है कायम रहिए । शुक्रिया ।

شری محمد خلیل الرحمٰن "آندھرا پردیش": جناب وائس چیرمین صاحب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے تین چار مہینہ پہلے نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کی میٹنگ میں یو۔پی۔ کے چیف منسٹر اور بی۔جے۔پی کے اہم قائدین کی یقین دہانی کے باوجود کہ یہ رام جنم بھومی بابری مسجد کا مسئلہ یا تو بات چیت کے ذریعہ اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا یا پھر عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ مگر ابھی حالیہ اشتعال انگیز ڈیولپمنٹ جو وہاں پر ہوئے ہیں

†[] Transliteration in Arabic Script.

۱۲ دن ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا یہاں پر یہ کہنا کہ ابھی تک ہم کو انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جلد از جلد اس ہاؤس میں مکمل انفارمیشن کے ساتھ تشریف لائیے۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ گذارش کروں گا کہ آج کا یہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے آپ اس ہاؤس میں بیان دیں گے اور تمام ممبرس کو اس سے معلوم کریں گے۔ اور پھر خاص طور پر ہمارے محترم صاحب۔ جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں جناب سکندر بخت صاحب ان کا اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہنا کہ مندر جو ہے بن کر رہے گا۔ یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں کا مسلمان انتہائی مطمئن ہے اس وجہ سے کہ ہندوستان کی جتنی سیکولر فورسیز ہیں وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس طرح سے ہندوستان کی شناخت پوری دنیا کی مملکت کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ اس شناخت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ مگر آپ کا یہ کہنا کہ مندر بن کر رہے گا۔ کیا مسجد کو شہید کر کے آپ مندر بنانا چاہتے ہیں یا مسجد کو منتقل کر کے مندر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے احتراز کی ضرورت ہے۔ آپ بھی ان ڈیولپمنٹ کو سطحی انداز سے نہیں سوچا جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ بیری پلانڈ ہیں اور جان بوجھ کر اس قسم کی اشتعال انگیز حرکت کی گئی ہے اور اس بات کی کوشش کی جارہی ہے۔ خاص طور پر ایکتا یاترا کے مکمل فیل ہونے کے باوجود بی۔ جے۔ پی کی جانب سے یہ کوشش کی جارہی ہے کہ پھر کسی طرح اس مسئلہ کو زندہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس طرف نئے ڈیولپمنٹ کئے جارہے ہیں۔

اس لیے میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے خاص طور سے کہوں گا کہ وہ جلد سے جلد بیان دیں۔ ہوم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے ٹیلیفون کیا ہے۔ میں فیکٹس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی تک وہاں سے معلومات حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ لاچاری کے سوائے اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے اور بھی مختلف سورسیز ہیں معلوم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ چیف منسٹر سے جو بھی انفارمیشن آئے گی تو چیف منسٹر کی انفارمیشن خود ان کی انفارمیشن رہے گی۔ اور ان کا جو ایکشن ہے اسے وہ جسٹی فائی کریں گے۔ اس لیے آپ کی بھی جو وہاں پر سینٹرل ایجنسیز ہیں ان ایجنسیز کے ذریعہ آپ معلومات کو حاصل کیجئے۔ وہاں ۱۱ مارچ سے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج ۲۳ مارچ ہے اسطرح

اس بات کی کوشش کیجئے۔ جیسا آپ ایک دفعہ یقین دے چکے ہیں بات چیت کے ذریعہ اتفاق رائے کے ذریعہ اس معاملے کو طے کریں گے عدالت کا جو بھی حکم رہے گا اس کی ہم پابندی کریں گے۔ آپ اسپر جو ہے قائم رہیے۔ شکریہ

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह राम मंदिर का मामला बड़ी तेजी के साथ जिस रूप में अवतरित हुआ है फिर से, एक बार कुछ मूर्तियां तोड़ी गई थी तो गढ़वाल में, हिमालय में भूचाल आ गया, हजारों लोग काल-कवलित हुए और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिन्दुत्व में मेरा विश्वास है और सनातन धर्म हिन्दुत्व का दर्शन है। सनातन धर्म और हिन्दुत्व मानता है—"वसुधैव कुटुम्बकम" यानी सारी सृष्टि हमारा कुटुम्ब है। हम इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन, इस सदन के सुलझे हुए बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सिकन्दर बख्त जी ने अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए जिस तेजी के साथ कहा कि राम-मंदिर बनाने के नाम पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार वोट पाई है, और राम-मंदिर बन कर रहेगा, तो मुझे एक कहावत याद आई कि नया मुल्ला जो है तेजी से बांग देता है और नया हिंदुत्व में, सांप्रदायिकता में विश्वास करने वाला मुसलमान, राम का मंदिर वहीं बनेगा, कितनी तेजी से कह सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे माननीय सिकन्दर बख्त साहब हैं, आज सदन ने और सारे देश ने देख लिया।

सृष्टि रचकर ज्योति दी है, सब वही सविता वही है।

काव्य रचना कर रहा है कवि वही है,
कविता वही है।

यदि मिला साकार तो वह अवध का
अभिराम होगा।

हृदय उसका धाम होगा, नाम उसका
राम होगा।

हर इन्सान के दिल में राम बसते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2.77 एकड़ जमीन पर मंडपों को ढहाने का काम किया, विनय कटियार सांसद की उपस्थिति में सुमित्रा भवन, लोमेश मुनि के आश्रम, द्वारिकादास फलाहारी सीता-कूप के मंदिर और विवादित भवन से सटी कुल दुकानों की तोड़-फोड़ की और साक्षी गोपाल मंदिर, सुमित्रा भवन, संकट मोचन मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठत मूर्तियां लगी थीं उनको छिन्न-भिन्न किया है, उनको भंग किया है। मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्तियों की, और यह भारतीय जनता पार्टी का हमें समझ में नहीं आता, यह मूर्ति भंजक लोग इस देश में पैदा हो गए हैं हिंदुत्व के नाम पर। इन्होंने मूर्तियों को एक बार तोड़ा तो हिमालय की छाती फट उठी, भूचाल आया और आज जब यह दुष्काण्ड किया है तो उसका परिणाम क्या होगा, यह ईश्वर ही जानता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खुद खड़े होकर सांसद विनय कटियार, लालू सिंह, श्रीराम द्विवेदी, मथुरा तिवारी आदि ने वहां उत्तरप्रदेश के राजस्वमंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की उपस्थिति में और मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी के आदेश पर जो यह दुष्कांड किया है, इसकी सारा देश निन्दा करता है और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिव सेना हो, चाहे हिन्दू मुन्नर हो, दक्षिण भारत में काम करने वाले चाहे आर०एस०एस० हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और हमारा धर्म-निरपेक्षता का जो सिद्धान्त है, वह माननीय उपसभाध्यक्ष जी, तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक साम्प्रदायिक शक्तियों से भरे हुए राजनीतिक दलों को आप बैन नहीं करेंगे। कितनी बड़ी हिमाकत है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की। उनकी क्या हैसियत है, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते जानता हूं मैं और गृह मंत्री, भारत सरकार बार-बार इनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं लेकिन ये रिपोर्ट देने

को तैयार नहीं हैं क्योंकि इन्होंने कानून की अवहेलना की है, इन्होंने इस देश के अल्पसंख्यकों को, विशेषत: मुसलमानों को डराया-धमकाया है और वह दिन भी आएगा, इस सदन में मैं रिकार्ड करा रहा हूं, कि चाहे मस्जिद को मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दें, मस्जिद की गुम्बद पर ये दो निर्दोष जवानों को चढ़ाकर उनकी हत्या करवा चुके हैं, पहले इनका इतिहास रहा है, तो मस्जिद को भी एक दिन ढहा देंगे और कहेंगे कि हमने उस पर कब्जा कर लिया है। सैकड़ों - हजारों मजदूरों के साथ मिनिस्टर खड़े होकर के, सांसद और विधायक खड़े होकर के, वहां के एस०एस०पी० और जो पर्यटन अधिकारी हैं, उसको लेकर के जिस तरह का नरसंहार कर रहे हैं उससे कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है और वहां टेंशन व्याप्त हो गई है। मैं गृह मंत्री को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता-पूर्वक लिया जाए। मैं मांग करूंगा, गृह मंत्री जी, अगर सुपरसीड करना हो, अपनी फोर्स भेजनी हो यहां से और राम मन्दिर बाबरी मस्जिद के मसले को, चाहे राष्ट्रीय एकता परिषद में भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कहकर मुकर जा रहे हों, चाहे वक्तव्य देने की हिमाकत स्टेट फेक्च्युअल पोजीशन बताने की जुर्रत नहीं कर रही है हमारे देश की सरकार को, यह बहुत चिंता की बात है। यह पहली दफा देख रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई और वे फेक्च्युअल पोजीशन बताने को, केन्द्र सरकार को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार से मैं मांग करूंगा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार तुरन्त इसमें हस्तक्षेप करे नहीं तो कल भी गिरेगा, जो प्लानिंग उनकी चल रही है, आज भी गिरा रहे हैं और निरंतर कब्जा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने जितने नाजायज मकानों पर कब्जा किया है अपने शासनकाल में और जितनी जमीन पर कब्जा किया है, देश में कभी भी कब्जा करने के नाम पर भ्रष्टाचार इतना नहीं हुआ। "कसम राम की खाते हैं, हम मन्दिर वहीं बनाएंगे", कसम तो झूठा आदमी खाता है।... **(व्यवधान)**... आप तो कभी राम को गाली देते थे जब रिपब्लिकन पार्टी में मैं। आप भी नए मल्ला बने हुए हैं। बी०जे०पी० में जाकर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखा कीजिए। जब से इस दल से सांसद होकर आए हैं, तब से राम-राम चिल्ला रहे हैं आप, पहले तो रामायण को फैंकने की बात करते थे आप।

तो मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करे और एक संयुक्त संसदीय दल इस मामले की जांच के लिए बनाया जाए और सरकार की ओर से वहां एक सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए जिसमें बी०जे०पी० और शिव सेना के लोग भी रहें, वह जाकर के फेक्च्युअल स्थिति गृह मंत्री और सरकार के सामने रखें और उस पर आधारित वक्तव्य गृह मंत्री और भारत सरकार का होना चाहिए। जनमत विक्षुब्ध है इनसे, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा और काशी विश्वनाथ को भी इन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है।

और वहां भी इनका मूल मकसद है 600 करोड़ रुपये का हिसाब, जो वी०एच०पी० ने राम मंदिर बनाने के नाम पर वसूल किया है और जिसमें सुपर पॉवर दुनिया की ओवरसीज बी०जे०पी०, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ओवरसीज कोई पार्टी नहीं देश की। **(समय की घंटी)** लेकिन ओवरसीज बी०जे०पी० है और जो 600 करोड़ रुपया आया है उसका दुरुपयोग करके यह देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते है, अल्पसंख्यकों में भय की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और उन्हें हिन्दुत्व के नाम पर समाप्त कर देना चाहते हैं। हिन्दू जिसका स्पर्श कर देता है वह हिन्दू हो जाता है। इस देश में शक आये, शिथियन आये, हूण आये मंगोल आये और सब भारतीय बनकर के रहे और उसी सर्व-धर्म सापेक्ष बात पर हमारा देश चल रहा है, हमारी राष्ट्रीयता का कमिटमेंट है, हमारे संविधान का और उसको तोड़ करके यह संविधान की उपेक्षा

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कर रहे हैं । इसलिए राम जन्म भूमि में इन्होंने जो अतिक्रमण किया है और जो मूर्तियों को भग्न किया है :

"जिन बुतों में आ जाता है खुदाई का मिजाज,
मैंने देखा है वह बुत तोड़ दिये जाते हैं ।"

यह भी सुना है मैंने और यह भी सुना है कि :

"तेरा हुस्न तब कहां था मेरी आशिकी के पहले,
पूजे गये कहां थे, मेरी बंदगी के पहले ।"

जनता ने आपको इस विश्वास के साथ वोट दिया था कि इस देश में आप धर्मनिर्पेक्षता, जनतंत्र और समाजवाद की स्थापना करेंगे, न कि सुपर पावर्स के कठपुतली के रूप में इस देश की धर्म प्राण जनता का हनन करेंगे, शोषण करेंगे और देश को बरबाद करेंगे । (**समय की घंटी**) राम हो, रहमान हो राम के सब रूप हैं । राम जन-जन में व्याप्त है और उस राम को आप राजनीति का तिजारत करने वाले, लाशों के सौदागर के रूप में, बंद करिये उस तिजारत को, नहीं तो यह देश आपको माफ नहीं करेगा । (**समय की घंटी**) गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने कैबिनेट में इस पर विचार करें। जितने भी साम्प्रदायिक दल हैं, चाहे हिन्दुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे किसी के भी हों उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करने के लिए सदन में बिल लायें तब जाकर के हमेशा के लिये यह राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मसला हल होगा । धन्यवाद ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : (हरियाणा) : रत्नाकर जी ने यहां दो शेर रखे हैं । जरा पाण्डेय जी को मुखातिब करके मैं दो लाईनें कहना चाहती हूं :

"हकीकत से नफरत, हिमाकत पे नाजां,
हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा है ।"

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अब आपके शेर का जवाब चव्हाण साहब देंगे हम नहीं देना चाहते ।... (**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन : जो हकीकत नहीं थी वह तो आपने कह दिया ।... (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मुझे जो कहना था कह दिया । उसको पढ़िये और उस पर अमल करिये देश को मत तोड़िये ।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are some important aspects which we have to take note of, as a result of the action being taken up U.P.

Firstly, it is very clear that the Government of U.P. has taken steps to demolish all the temples. It has done that under the pretext of land acquisition. I would submit that such action can be repeated anywhere in the country. Therefore, the hon. Home Minister may take this into consideration and take remedial measures, by way of amendment of the Land Acquisition Act, so that such a mischief is not played in any part of the country, and no place of worship, belonging to any religion, or, any entity, is demolished by misusing the Land Acquisition Act.

Secondly, it must be noted that a party, which made so much hue and cry in regard to its devotion to Ramji, has ultimately ended up by demolishing the temples themselves. This shows that it was only paying lip-service in regard to its respect for Ram, in regard to its respect for religion, but its aim was different. It was to capture power and, to get that purpose served, it would not desist from demolishing the temples or other places of worship. Efforts should, therefore, be made to see that no political party of any hue is able, in future, to do so by misusing power, by misusing religion and by misusing the manadate it gets to rule a State.

Thirdly, it has been said that we are not going to construct a Ram temple by demolition of the mosque and according to them the place

where the Babri Masjid is, is now a temple. Everybody knows and history stands testimony that up to the year 1986 there was no temple. That matter was pending in a court of law, the matter is still pending in a court of law. This ostrich-like attitude of a political party in a matter which is going to affect the very future of this country, is reprehensible, is condemnable and saying that this is a matter not justiciable by a court of law would mean that our country is being taken to a state of anarchy. After all, there is the Constitution which is the uppermost. After all, there is a rule of law which is the uppermost and a political party which advocates that apart from the Constitution, apart from the courts of law, apart from the rule of law, it has the jurisdiction to decide where to do what, is leading the country to a abyss from where it can never return.

Then they are trying to say that it was a matter between the Hindu and the Muslims. No, it is not the Muslims who can stop the BJP or any non-secular party from demolishing a place of worship. It is the secular people of India who are standing in their way. Whether they belong to any faith or any religion, they are the people who stand in their way, because they know that in India in which this thing takes place cannot remain united and will lose its solidarity and its importance in the family of nations. Therefore, the BJP is now faced with a dilemma, It is in a bottleneck. Do not bail them out by dismissing them. Let them continue in their power so that they are rendered naked by the general public, as they have already been rendered naked half. Do not come to their rescue. Let them go to the logical conclusion and let them face the public Let the public also know what they actually stand for.

These are my submissions which may kindly be taken into consideration.

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय मैं भी सुषमा स्वराज जी के शेर पर चव्हाण साहब की तरफ से शेर कहना चाहती हूं । उन्होंने ठीक ही कहा है कि— "हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा है"।

तो हम सही में ऐसे लोग हैं कि—

"हमने तमाम उम्र इसी कशमकश में गुजारी कि
आशियां किसी शाखे चमन पर बाद न हो"

सही में हम लोग ऐसे ही हैं । इस शेर का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सही में हम लोगों का शासन इसी तरह से रहा कि "आशियां किसी चमन पर बाद न हो' ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वाईस चेयरमैन साहब मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

"ये अपनी महफिल में हमारा तजकरा
करते तो हैं
गाली देकर नाम लेते हैं मगर
लेते तो हैं"

हमेशा बी० जे० पी० को गाली देते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I would be better if all these poems are collected ad published by the Rajya Sabha Secretariat.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir after listening to my hon. friend, Mr. Salaria, I have really come to the conclusion that there is nothing more that I can add. All that I would like to say is that I associate myself with these very cogent, nationalistic and very sensible sentiments and I do hope that the various steps that are being taken as preparatory to go in for the final round of demolishing the mosque and building the temple will not come about and a better sense will prevail.

श्री प्रमोद महाजन : उपसभाध्यक्ष जी राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद में उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायालय से दिए गए किसी भी निर्णय का उल्लंघन नहीं करेगी और जो भी काम वहां होगा वह कानून के माध्यम से ही होगा । आज जिस विशेष उल्लेख के द्वारा यह चर्चा शुरू हुई हैं इसमें जो बार-बार मुख्य मंत्री के इस बयान पर चर्चा हुई उसके प्रकाश में तथ्यों को केवल मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं जिस पर कि दिन भर चर्चा हुई है ।

महोदय, इस भूमि के तीन टुकड़े हैं । पहला जिस पर राम जन्म भूमि का भवन है । दूसरा 2.7 एकड़ भूमि हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण की है । तीसरे राम कथा पार्क हैं जो उत्तर प्रदेश ने राम जन्म भूमि न्यास को दिया हैं ।

जहां तक लखनऊ उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, जब उत्तर प्रदेश में मई सरकार आई, उन्होंने राम जन्म भूमि भवन के इर्द-गिर्द लगभग 3 एकड़ भूमि अधिग्रहित की । इस अधिग्रहण के खिलाफ कुछ लोग उच्च न्यायालय में गए । उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया । अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने इस अधिग्रहण को माना है । उन्होंने यह नहीं कहा कि आपने यह गलत किया हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश ने जो भूमि का अधिग्रहण किया, उसको उच्च न्यायालय की मान्यता है । इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है । उस अधिग्रहण को मान्यता देते हुए उच्च न्यायालय ने दो टिप्पणियां की । उन्होंने कहा कि इस अधिग्रहित भूमि को उत्तर प्रदेश की सरकार किसी और को सौंप नहीं सकती और इस अधिग्रहित भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार कोई स्थाई इमारत खड़ी नहीं कर सकती । जो भी मेरे बंधु न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके बनने के बाद इस क्षण तक उसने ऐसा क्या किया है जो लखनऊ उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ है ? भूमि का अधिग्रहण कानूनी था । इस कानूनी अधिग्रहित भूमि को जो पौने तीन एकड़ के आस-पास है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी को दिया ही नहीं है । इसलिए जो प्रावधान था, उत्तर प्रदेश न्यायालय का कि किसी को न दें, वह हमने मान लिया ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : अगर अधिग्रहित भूमि नहीं थी तो एक बात स्पष्ट करें जो हमको उस वक्त क्लियर नहीं हो पाई कि सरकार की वहां मिल्कियत होगी, लेसर की हैसियत से कुछ नहीं थी ।? .... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : इसीलिए मैं कह रहा हूं । मैं कोई वकील नहीं हूं । मैंने कानून का अभ्यास नहीं किया हैं । अगर मैं वकील होता तो उस कागज को किसी दूसरे में डाल कर नहीं पढ़ता । मैं एकलैंड केस की फाइल अलग बनाता और उसी के आधार पर निर्णय लेता कि यह उसकी जमीन है और जो पौने तीन एकड़ भूमि है जो राम जन्म भूमि के आस-पास हैं ...

This is separate; this is acquired by the U. P. Government.

जिस लीज की बात हो रही है 42 एकड़ की राम कथा पार्क की वह पार्क अलग हैं ...

श्री एन० के० पी० साल्वे : आप ने यह बयान दिया कि यह जो जमीन अभी लीज पर दी गई है वह ऐक्वायर नहीं की गई है ...

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कहा कि तीन चीजें हैं । जो अधिग्रहीत भूमि हैं पौने तीन एकड़ उच्च न्यायालय में जिस पर आपत्ति की गई, उसके बारे में उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको आप किसी को दे नहीं सकते और दूसरे यह कि आप इस पर स्थाई भवन नहीं बना सकते । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह जमीन किसी को दी गई है ? न वह

जमीन किसी को दी गई है न उस पर कोई स्थाई भवन बनाया गया है । अगर भूमि नहीं दी है तो उच्च न्यायालय के किसी निर्णय का उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपमान किया है ? न्यायालय का कोई निर्णय हमने तोड़ा नहीं है । उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानूनी सरकार है । और संवैधानिक सरकार को संवैधानिक ढंग से ही काम करना पड़ता है । अगर कानून तोड़ कर मंदिर बनाना होता तो अब तक मंदिर बन चुका होता । इसलिए जिस प्रकार की बात हो रही है हम कोई कानून तोड़ कर मंदिर बना रहे है, यह सच नहीं हैं। लेकिन कल अगर कोई कानून बने तो उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। आखिर सर्वोच्च न्यायालय की दुहाई देते हैं । तीसरी बात राम कथा पार्क की है वह अलग है । इसकी हंसी उड़ाई जा रही है । कि आप ने जो भूमि दी हैं उसका टूरिज्म परपज नहीं हो सकता । क्योंकि इस देश में दुर्भाग्य से पर्यटन का मतलब शराब और जुए के अड्डे चलाने के लिए जो व्यवसाय है उसी को टूरिज्म कहते हैं । There cannot be a religious touriism. मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे को देखने के लिए सबसे ज्यादा यात्री इस देश में यात्रा पर जाते हैं । वह मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं वह भी तो आपने आप में पर्यटन हैं । लेकिन जिन लोगों के पर्यटन का अर्थ शराब और जुए के अड्डे पर होटल खोलना है उनके लिए लगता है यह कोई पर्यटन नहीं है । इसलिए पहली बात तो यह है कि जिस भूमि को हमने अधिग्रहण किया है उस पर आज भी लखनऊ उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसे किसी भी निर्णय को उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ा है ।

जहां तक राम कथा पार्क का सवाल है यह उत्तर प्रदेश सरकार की ही 42 एकड़ जमीन है । अपनी ही जमीन लीज पर देने का उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है । है या नहीं है मैं साल्वे साहब इस बहस में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सी जमीन बता सकता हूं जो महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत लोगों को दी हैं । उनमें मैं दस सांसदों के नाम भी गिना सकता हूं । जिनके पर्सनल ट्रस्ट में जमीन गई है । इसलिए मुझे व्यक्तिगत झगड़े में नहीं जाना है । व्यक्तिगत झगड़े में मैं पचासों नाम महाराष्ट्र सरकार के बता सकता हूं जो व्यक्तिगत सांसदों के नाम से नागपुर सिटी में ही है । इसलिए मैं इसमें नहीं जाता । यह कम से कम टूरिज्म बन रहा है । इसलिए सरकार का अधिकार है और उन्होंने दे दी है । आप पूछेंगे व्यक्तिगत न्यास को क्यों दी ? इस पर भी विवाद हो सकता है । आपका एक मत हो सकता है हमारा दूसरा मत हो सकता है । जिस महात्मा गांधी की दुहाई आप ने दी हैं उन्होंने यह कहा था कि सोमनाथ मंदिर को अगर बनाना है तो उसके लिए जनता का पैसा चाहिए, सरकार नहीं चाहिए । इसलिए राम कथा पार्क अगर बनाना है तो सरकार नहीं चाहिए, हमें तो जनता का पैसा चाहिए । जनता के आधार पर हम राम कथा पार्क का निर्माण करना चाहते हैं । इसलिए इसको न्यास को दिया है । यह उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकार है । अगर अधिकार नहीं है तो इसको कोई भी चुनौती दे सकता है, न्यायालय में जा सकता है । इस हस्तांतरण पर रोक लग सकता है । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गैर कानूनी काम किया है मुझे मझे लगता है यह सरासर गलत है ।

जहां तक जानकारी का सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार ने जानकारी मांगी है और केन्द्रीय सरकार के अनुसार उन्हें अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश विधान सभा का अधिवेशन चल रहा हैं। हो सकता है आज थोड़ी देर में वह जानकारी आ जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को कोई जानकारी चुरानी नहीं हैं। अगर केन्द्रीय गृह सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से फोन पर बात

[श्री प्रमोद महाजन]

कर सकते हैं तो उनको जानकारी आई होगी। लेकिन जब तक लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं आयेगी इस सदन में नहीं आ सकती। लेकिन शाम तक आ सकती हैं। आपने दो दिन में जानकारी मांगी और वह आपको दो दिन में नहीं मिली इसलिए आप कहते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। (समय की घंटी) मुझे दो मिनट कहना पड़ेगा। सभी ने कहा है उसका मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा।

माननीय सदस्य: सब ने नहीं कहा। बहुतों ने कहा हैं।

श्री चिमनभाई मेहता: हमारी पार्टी ने नहीं कहा।

श्री प्रमोद महाजन: बहुतों ने आरोप लगाया मुझे तो उसका उत्तर देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने आरोप लगाया। वहां राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है या राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए यही रास्ता ढूंढा जायेगा? राष्ट्रपति शासन इस पर लगेगा कि दो दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने कोई जानकारी मांगी थी वह नहीं मिली। By this logic other State Governments will also be under President's rule tomorrow. दस चीजों के लिए संसद में उत्तर आता है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं। अभी गृह मंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि हमने टाडा के लिए जानकारी मांगी है किसी ने अभी तक भेजी नहीं हैं। यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है। Will you put all the State Governments under President's rule because they have not sent you the information immediately? आखिर जानकारी भेजनी चाहिए। वह उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है और वह जानकारी जरूर भेजेंगे। लेकिन दो दिन जानकारी की देरी हो गई तो यह मांग होने लगी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मैं इतनी बचकाना मांग की समझ नहीं सकता। यह जानकारी मिल सकती है। इसलिए जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए यह ठीक नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे यहां आने वाला हर आदमी चुनकर आया है वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी लोगों के आशीर्वाद पर चुनकर आई है। यदि उनको हटाना है तो यह उनका ही अधिकार हैं। किसी को लगे कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार जायेगी तो हार जायेगी। यह तो वहां के लोग ही तय करेंगे। लेकिन आप यहां बैठकर उत्तर प्रदेश सरकार को केवल दो दिन में जानकारी नहीं आई इस आधार पर इस प्रकार का निर्णय लें यह मुझे आश्चर्यकारक लगता है।

जहां तक न्यायालय की बात है भारतीय जनता पार्टी ने कभी न्यायालय के अपमान की बात नहीं की। जिन्होंने शाहबानों केस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदला। कल अगर संसद में हमें इस प्रकार का बहुमत मिल जाए तो हम भी कानून से मन्दिर बना सकते हैं। और जब कानून से मंदिर बनेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मैं कानून से मंदिर बनाने की बात कर रहा हूं। मैं उसे मस्जिद मानता ही नहीं हूं। इस समय मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude. You have taken ten minutes.

श्री प्रमोद महाजन: मैं कंक्लूड कर रहा हूं। केवल एक बात पर गौर कराना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का विवाद आज का नहीं है। 1949 में यह विवाद शुरू हुआ। In 1985, the District Court opened the doors. उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सरकार कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.

का किसी भी सरकार से क्या संबंध है। जिला न्यायाधीश ने राम मंदिर के दरवाज खोले और जिस दिन मंदिर के दरवाज खुले, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की स्थापना हुई और झगड़ा उसके बाद निर्मित हुआ। आप सब से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करे। यह भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल का शुरू किया हुआ झगड़ा नहीं है। यह तो प्रतिक्रिया हुई है। जब कानन से, कोर्ट के आर्डर से, राम मंदिर के दरवाजे खुले और कोर्ट के आर्डर के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दबाव में आकर फिर से मंदिर के दरवाजे बंद करने का आन्दोलन छिड़ा तो हिन्दू मानस उमड़ा, क्योंकि उसके सामने शाह बानो का केस था। शाह बानो का केस इस प्रकार का था कि जिसको आप सेक्यूलर कहते हैं, लेकिन जो एन्टी सेक्यलर फोर्सेज हैं, फण्डामेन्ट-लिस्ट फोर्सेज हैं... (व्यवधान)। मैं ईल्ड नहीं करूंगा। शाह बानो के केस में जब यह तय हुआ कि एक बड़ी से बड़ी सरकार घुटने टेक सकती है तो उसको डर लगा कि जो सरकार शाह बानो के केस में घुटने टेक सकती है वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सामने भी घटने टेक सकती है और इसलिए यह आन्दोलन हिन्दू मानस की ओर आया है। इस आन्दोलन के इतिहास और इसके भूगोल और इसकी मानसिकता पर न पहुंचे बिना यह नहीं होगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पर लम्बा चौड़ा भाषण दिया जा सकता है। बात यह है कि हमें जनादेश मिला या नहीं मिला, कितने परसेंट मिला, कितने प्रान्तों में मिला, वह आगे रहेगा या नहीं रहेगा सवाल यह नहीं है। हिन्दुस्तान में जो भी जनादेश मिलता है वह किसी एक मुद्दे पर नहीं मिलता है। पार्टियों को जनादेश किसी की हत्या पर मिलता है, किसी की हत्या की सहानुभति पर मिलता है, अनुभूति पर मिलता है। जनादेश के ढेर सारे अर्थ हो सकते हैं अगर आप जनादेश की चिन्ता करते हैं तो मैं राम मंदिर बनाने वालों का आवाहन करना चाहता हूं कि let us have a single point referendum in this country on whether you want a Mandir or not. और इसलिए अगर हम रेफरन्डम में हार गये तो फिर कभी भी मंदिर की मांग नहीं करेंगे, इसकी जिसमें हिम्मत हो वह इस चुनौती को स्वीकार करे।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA:*

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): This will not go on record.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am very happy to note Mr. Pramod Mahajan saying that the BJP would abide by the court verdict, but it does not give me pleasure to remind him that the BJP on the eve of polls said "that is not a matter of judgment by the court at all". In so far as they have moved towards this point, I welcome this.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I said about the BJP Government.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: हमने कोर्ट के बारे में यह कहा है कि यह तय करन कि राम यहां पैद हुए थे या नहीं हुए थे, यह कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है... (व्यवधान)।

श्री प्रमोद महाजन: हमारा कहन यह है कि.... (व्यवधान)।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, I do not know why Mr. Pramod Mahajan is so much disturbed at a compliment I am paying to him.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Left-handed compliments.

---

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please be brief.

SHRI S. JAIPAL RADDY: Now, he has referred to the judgement of the court. The newspaper says that the court order in regard to the *status quo* in the disputed area has been violated. There is a suit pending in the court in regard to the whole disputed area. I do not know the extent of the land, may be 20 acres of land. *The Statesman* says:

> "Five shops near what is regarded as the "Hanuman Diwar" in the disputed area were today dismantled along with houses belonging to Haridas and Naval Kishore. Besides "Sita Gufa" and a portion of Abhiramdas and a portion of Abhiramdas Mandap, where bhajans are sung non-stop, is reported to have been demolished". What is more "the operation took place on Nazul plot Nos 578, 586 and 588, the last two of which fall within the disputed area."

The point here is court instructions in regard to the non disturbance of *status- quo* in the disputed area has been blatantly violated. So what has the Home Minister got to say on this?

Thirdly, Mr. Sikander Bakht in his eloquent presentation referred to the relocation of the Hindu temples. Well of, course, in the lexicon of BJP 'relocation' means demolition. I would like to know as to what right BJP Government has got to relocate, dislocate or demolish Hindu temples. Do they have the monopoly to represent the Hindus all over the country? I am not merely referring to the Masjid here. I am referring to the Hindu temples. What right do they have to disturb the Hindu temples? Is it not violation of our Constitutional rights? Will the Government of India merely look at it in a supine way or will the Home Minister interfere and do something in the matter?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: May I add a point to what he has said? Now it is the disputed land. As Mr. Jaipal Reddy has said, what right do they have to demolish the five temples? Actually Parliament has adopted a low which says that no religious place shall be demolished and shall remain as it was existing sinec 1947. In fact, they have violated the law by demolishing those five temples, the law which Parliament has passed. They were also a party to it.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Totally ignorant. Nothing is demolished.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Whatever we speak is "ignorance". What they say is the truth. This is what.... (*Interruptions*)....

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Sikander Bakht himself admitted today morning that the Hindu temples are being relocated in accordance with certain scriptural procedures. It is a blatant admission of the fact that some temples have already been demolished. though a euphemestic expression like 'relocation' has been very cleverly employed. So we are as keen to protect the temples of Hindus as Babri Masjid of Muslims. Did they ever obtain a mandate in regard to the demolition of the Hindu temples? Will the Home Minister get information in this regard? Will he take appropriate action in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Mr. Vice-Chairman , Sir, in fact, without the information from the State Government concerned, it is very embarrassig to clarify some of the points which hon. Members have raised. Till about 2.30 p .m. we had been trying our level best with the

Government of U. P. But I am sorry to say that we did not get any response from them. Actually, the Home Secretary and I have sent a telegram. That was not in connection with this news item which has appeared in newspapers today. I also wrote a letter to the Chief Minister and reminded him twice regarding N.I.C. Visit. Even to that, I have not received any reply so far. So, unfortunately, without getting the information from the State Government, I have to reply to some of the points which hon. Members have raised here.

I will not be able to factually say how far one statement or the other is correct because you can rely on what you read in newspapers, but I cannot. If I rely on a newspaper report, then it will be considered as authentic Government information. So, at this stage, I cannot possibly say anything on that. I have to have the report from the State Government concerned. Some hon. Members, especially my good friend Mr. Subramanian Swamy, have said that the U. P. Government has become a senior partner and the Central Government has become a junior partner. I think you must have some patience. These are matters in which we cannot rush to any conclusions. We have to apply our mind properly and once we take a step, it should be a firm step from which we are not required to come back. We will have to study this kind of a situation very carefully. Not that we are totally oblivious to what exactly is going on in that area. But I cannot give the information which I have collected from different sources, while replying to this debate. If I were to rely on that, certainly, you are duty-bound to ask me the sources of information which I cannot disclose. And that is why it becomes very difficult for me to reply to some of the points.

Sir, there are very conflicting kinds of claims which have been made here, specially when my good friend Shri Sikander Ali Bakht was talking on behalf of the BJP and most probably on behalf of the U.P. Government. Almost all the BJP Members were talking as if they are the representatives of the BJP Government in U. P. It might be that they got the information which is not being supplied to me. In fact, there was nothing wrong.... (*Interruptions*).

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: That was never evident for the last so many years, (*Interruption*).

SHRI SURESH KALMADI: Why has the U.P. Government not replied?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please do not interrupt.

श्री प्रमोद महाजन : उपसभाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का निवेदन बड़ी जिम्मेदारी से होना चाहिये। मैं क्षमा मांगते हुए कहूंगा, बड़े ज्येष्ठ नेता हैं, उन्होंने तीन दिन पहले पत्र लिखा। तीन दिन की शायद छुट्टियां भी हो सकती हैं। मुझे पता नहीं वह पत्र स्पेशल मेसेंजर द्वारा भेजा गया या डाक द्वारा भेजा गया वह मुख्य सचिव के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या गृह सचिव की मुख्य सचिव से दूरध्वनि पर चर्चा हुई है, उस चर्चा में उन्होंने सरकार से यह कहा है कि हम जानकारी भेज देंगे। मुझे लगता है, मैं गृह मंत्री जी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि उनके एक एक शब्द का बहुत दूर तक अर्थ होता है। जब वह कहते हैं कि हम फर्म स्टेप लेंगे, पीछे नहीं हटूंगा तो इसके ढेर सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक जानकारी न मिले, अगर जानकारी है तो ठीक है, लेकिन जानकारी के अभाव में राज्य सरकार को वे कटघरे में खड़ा न करें। यही मेरी प्रार्थना है।

SHRI S. B. CHAVAN: I am not interested in putting in the dock the State Government. In fact, I would like to have the best of relation with

[Shri S. B. Chavan]

all the State Governments, including the U.P. Government. You can rest assured that when I say something, definitely, unless I have the information with me, I will never say that. I do not know what has come in the way. I do not know whether it is because of holidays or something else. This morning also, the Home Secretary talked to the Chief Secretary there. He could have taken the matter seriously and immediately by Fax, he should have sent the message to me so that I am in a position to reply here. Actually, I never expected that I will be required to reply in the House because this was just a special mention. But thereafter, it was converted into a debate. I came back from Gujarat at about 9.30 A. M. or so. I was not in a position to reply. But in the meanwhile, the Home Secretary had contacted the Chief Secretary there and reminded him that we have been asking for the information. The information is not becoming available. The point which Mr. Salaria has raised, I must say, is a very valid point, which never occurred to me. I must very frankly admit this because in the Religious Places of Worship Bill, which was passed by both the Houses of Parliament there seems to be some kind of a lacuna which will have to be corrected. We thought that the demolition can be done only of a temple or a mosque belonging to some other sect. We never could contemplate that a temple belonging to the same religion can also be demolished. This idea did not occur to me. (*Interruptions*).

SHRI PRAMOD MAHAJAN: The State has no religion. What do you mean by the same religion? The State has no religion. Do you want to say that the U.P. Government has a religion and the temple is another religion? How are you interpreting the law? (Interruptions).

SHRI S. B. CHAVAN: Without any religion, you have demolished it.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: How you are saying 'temple belonging to some religion and other religion'? What do you mean by the same religion?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: इसका अर्थ यह है कि अगर बिड़ला मन्दिर के अंदर यदि कोई सुधार करना है तो सुधार नहीं कर सकते हैं... (**व्यवधान**) अगर किसी मस्जिद में कोई सुधार करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं... (**व्यवधान**) चार जगह अगर खम्भ खड़े हैं और वहां पर कोई मूर्ति रखी है तो उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, यह मतलब है ... (**व्यवधान**) जी हां, ये सलारिया साहब की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहा हूं। बिड़ला मन्दिर के अंदर छोटी छोटी मूर्तियां रखी हैं अगर बिड़ला मन्दिर का मैनेजमेंट चाहे कि इन मूर्तियों को उठाकर वहां रख दें तो नहीं रख सकते हैं यह मतलब है... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: We didn't refer to renovation. We are referring to demolition of Hindu temples.

SHRI S. B. CHAVAN: That is the point. In fact, I am so happy that a secular meaning has been given to this entire concept by my hon. friend, Shri Mahajan. I am in full agreement with him that the State Government does not have any religion. What I wanted to say was that we never contemplated that the Hindus can demolish their own temples or the Muslims can demolish their own mosques. This thought never occurred to us. We thought that when there is a dispute between two communities, it is only that temples or mosques belonging to another party are going to be demolished. But now we will consider as to whether it is necessary to amend the Religious Places of Worship Act in order to cover this area so that this kind of a plea which might be taken later on in the name of renovation also, cannot be taken. If this kind of a plea is being taken, then certainly we will have to provide for the same. It looks

like that. That is why I will have to consult my colleague and go to the Cabinet. The Law Minister is fortunately here. (*Interruptions*). I have to go for another meeting. I am not yielding. You have to sit down. (*Interruptions*).

श्री संघ प्रिय गौतम: अगर आपको सड़क बनानी हैं, अस्पताल बनाना है ...(**व्यवधान**) कोई स्कूल बनाना है ...(**व्यवधान**)

SHRI S. B. CHAVAN: I am surprised that you can stand up any time and go on shouting like anything. I was not yielding at all. I have got to rush for another meeting that I have The Law Minister is sitting here and I am sure that he must have heard the kind of dispute which is going on that Hindus are demolishing their own temples. At least I have not heard of any Muslim doing this so far. But as a matter of abundant precaution, I will have to provide for both.

श्री प्रमोद महाजन: मैं आपको उसके भी उदाहरण दूंगा। मुस्लिम्स के भी उदाहरण दूंगा।

SHRI S. B. CHAVAN: In the name of renovation if any mosque is proposed to be destroyed, demolished, that should also be covered. It is a point which will have to be considered by the Law Ministry and with their opinion we will go to the Cabinet and amend the Places of Worship Bill. That is under contemplation. We will certainly look into the matter. In fact, the entire purpose of the Bill was totally different. I do not know whether we can do it or we will have to bring in a separate kind of legislation. It is a matter which ultimately will be decided in consultation with the Law Ministry, Sir.

Mr. Chaturanan Mishra was pleased to state that an all-party meeting should be called to discuss this very serious issue. Certainly I have no objection. We can call a meeting of all the parties and we can try to persuade our good friends that nothing should be done which will create an impression that you are slowly proceeding towards demolition of the mosque. That is the fear. In the construction of a temple I am prepared to help you. Mr. Mahajan, I am prepared to come with you and construct the temple.....

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I know you are a devotee.

SHRI S. B. CHAVAN: So far as the construction of temple is concerned,— I am a religious person—I am prepared to come with you. Construct the temple by all means. But according to the Hindu religion, I don't think this shows the greatest tolerance which, in fact, is being preached by the Hindu religion. Don't try to destroy that concept which has been universally accepted by all the religions and that is the speciality of our society. If by any name you are going to destroy, demolish t he mosque, if in the name of renovation you are going to change the character of the structure, I am sure you will be doing a tremendous damage. Don't try to find some kind of a plea that you have amended this act or that act. What is your motivation, you have clearly stated. Though Mr. Sikander Bakht said, "We are interested in the construction of the temple without reference to the other aspect of it". I have reported speeches with me, but I can't rely on those reported speeches wherein the emphasis seems to be: shift the mosque, as you have stated in the morning, "We are shifting the temples; we have not demolished them." So this can equally be made applicable in the case of apprehensions that all Members sitting in this House have in their mind. So you make your position clear, the BJP should make its position clear that certainly you are neither interested in shifting the mosque nor in renovating the mosque nor in creating a situation wherein the apprehensions are being confirmed. So please try to make your position clear. Unfor-

[Shri S. B. Chavan]

tunately because of their ambiguous statements things are getting much worse. Please make your position clear which will be in the interest of both the BJP and the Government also. In fact, I can assure you, on this issue merely because they have not supplied the report, don't think that we are going to take very drastic action and oblige the Government for that matter. In fact, I am not interested in doing that, but when I give a directive, the directive has to be followed. If the State Government having the directive in their hands are not to act according to the directive given by the Government of India, is it be called a directive? All kinds of letters which are being written are not directives. So once we give a directive and if it is not complied with, then the only option left is Article 356. There is no other alternative.....

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Why do you go so far when nothing has happened?

SHRI S. B. CHAVAN: I am just trying to explain the constitutional position as it exists today. All opportunities.....

SHRI PRAMOD MAHAJAN: This will create more doubts.

SHRI S. B. CHAVAN: In fact, we are not interested in jumping to any particular decision that this Government or that Government is not going to comply with the instructions sent by the Government of India. They might be having their own reasons. I don't want to say anything unless I get the report in which they explain as to why they have delayed in giving the report to the Government of India, and thereafter if I feel like, then the course of action will have to be decided later on. Thank you, Sir.

Need for making Higher Education Loan-based and Self-financed

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, our educational expenses all over the country are hardly around 4 per cent of our national income and out of this amount a meagre sum is spent on vocational training. The Centre spends only 15 per cent of its Rs. 900 crores educational budget on vocational education. Our educated unemployed youths are around 5 millions and most of them are devoid of vocational training. There is a huge number of drop-outs from eighth standard onwards every year. Three and a half crores of persons are unemployed. A huge number of them have no vocational training. Vocational training requires a sizeable financial outlay. I am of the opinion that the Centre should provide at least Rs. 1,000 crores and invest them in rural vocational training and cut the fertilizer subsidy to that extent.

Urban vocational education should be provided by resorting to saving Government expenses charged on higher education, by loan-based and self-financed higher education. Twenty per cent of our country's educational budget is spent on higher education where only 2.6 per cent students are studying. Colleges are mushrooming due to Government patronage. It is a fact that expenditure per student in the IIMS in India, calculated on 1988-89 statics, is around Rs. 40,000 to Rs. 60,000 while the fees are Rs. 500 per annum. The situation in IITs is almost the same. The maximum fee per annum is Rs. 300 while the expense per student is around Rs. 52,000 to Rs. 77,000. The Government has admitted that 20 per cent of the IIT students go abroad and earn well. A boy having an average higher education is much better compared to dropouts or illiterates.

Therefore, my suggestion is that these rich students should be made to pay full expenditure and should not be given Government finance for their training. Middle class students should pay 20 per cent to 25 per cent of the expenditure as fees and the rest of the amount should be converted into concessional loans. Poor students should pay 5 per cent to 10 per cent